U;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tks/kiqj
ihBklhu vf/kdkjh & *yfyr dqekj xqIrk] vkbZ-,-,l-*

vkElZ vihy la[;k& 06@2018

vihykUV	**cuke**	**jLiksMsUV**
भीम सिंह पुत्र श्री सगतसिंह जाति राजपूत, उम्र 52 वर्ष, निवासी मोहनगढ, तहसील व जिला जैसलमेर।		राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जैसलमेर

vihy vUrxZr /kkjk 18 vkElZ vf/kfu;e 1959 fo:) ftyk dysDVj ,oa ftyk eftLVsV tSlyesj vkns'k fnukad 11-6-2018 ds }kjk iq'rSuh 'kL= 12 cksj xu dk vihykUV ds uke 'kL= vuqKk i= tkjh djus ckcr izLrqr izkFkZuk i= dks fujLr djus ds dze esaA

उपस्थितिः——

1. अपीलान्टस की ओर से श्री भरतसिंह अधिवक्ता उपस्थित।
2. रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश चौधरी उपस्थित।

<u>fu.kZ;</u>

दिनांक : 5.12.2018

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के पिता स्व. श्री सगत सिंह को जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर द्वारा 12 बोर डीबीबीएलगन संख्या 29004/ए/9 एमजीएन हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या जेएमआर/बी.एल/65/405 जारी किया हुआ था। जिनकी मृत्यु हो जाने पर उक्त शस्त्रों को जिला पुलिस लाईन मे जमा करवा दिया गया था, पिता के जीवनकाल मे ही अपीलान्ट का नाम देखभाल व सार सम्भाल के लिए मूल लाइसेन्स मे endorse कर दिया था। पिता की मृत्यु के उपरान्त पुश्तैनी 12 बोर डीबीबीएल गन संख्या 29400 हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र हेतु एक आवेदन जिला कलेक्टर, जैसलमेर के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र के संबंध मे जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही द्वारा पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट चाही गयी। पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि अपीलान्ट को जीवन का खतरा होने या धमकी आदि प्राप्त होने के संबंध मे कोई एफ.आई.आर दर्ज नही होने से शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने की अनुशंसा नही की जाती है।

जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही ने मात्र पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जबकि नियमों एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों मे पैत्रिक शस्त्र के संबंध मृतक के विधिक प्रतिनिधि को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने के विशिष्ट प्रावधान विहित किये हुए है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना नियमों एवं परिपत्रों का अवलोकन किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.6.2018 पारित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित हो कर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

उपस्थित अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट के पिता स्व. श्री सगत सिंह को जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर को 12 बोर डीबीबीएलगन संख्या 29004/ए/9 एमजीएन हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या जेएमआर/बी.एल/65/405 जारी किया हुआ था। जिनकी मृत्यु हो जाने पर उक्त शस्त्रों को जिला पुलिस लाईन मे जमा करवा दिया गया था, पिता के जीवनकाल मे ही अपीलान्ट का नाम देखभाल व सार सम्भाल के लिए मूल लाइसेन्स मे endorse कर दिया था। पिता की मृत्यु के उपरान्त पुश्तैनी 12 बोर डीबीबीएल गन संख्या 29004 हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र हेतु एक आवेदन जिला कलेक्टर, जैसलमेर के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र के संबंध मे जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर द्वारा पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट चाही गयी। पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि अपीलान्ट को जीवन का खतरा होने या धमकी आदि प्राप्त होने के संबंध मे कोई एफ.आई.आर दर्ज नही होने से शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने की अनुशंसा नही की जाती है। पुलिस अधीक्षक की उक्त रिपोर्ट उचित नही है क्योंकि अपीलान्ट ने अपने पिता के नाम से पुश्तैनी शस्त्र को अपने पास नियमानुसार रखने की अनुमति चाही गई थी न कि नया शस्त्र क्रय करने हेतु। उत्तराध्किारी व पैतृक के मामले मे सिफ यह देखा जाता है कि उत्तराधिकारी शस्त्र रखने की पात्रता रखता है या नही, उसके विरूद्ध कोई फौजदारी मुकदमा दर्ज तो नही तथा शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण लिया हुआ है। इस प्रकार पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर द्वारा नियमों की अनदेखी कर अपनी रिपोर्ट पेश की है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश न्यायोचित नही होने से निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट ने फार्म ए के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर प्रस्तुत किया। आवेदन के साथ अपीलान्ट का शपथ–पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र वारिस सूचना पत्र, पहचान पत्र, पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, शस्त्र जमा रसीद, सहमति पत्र, रसीद, स्वास्थ्य, हैसियत,प्रशिक्षण प्रमाण पत्र,

आपराधिक रिकार्ड का सत्यापन आदि प्रस्तुत किये गये थे, जो पैतृक शस्त्र हेतु लाईसेंस जारी करने के लिए आवश्यक थे। सभी आवश्यक औपचारिकताऐं पूर्ण होने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी ठोस कारण के अपीलान्ट का आवेदन पत्र निरस्त करने का Non speaking order पारित कर दिया, जो न्यायोचित नही होने से निरस्त योग्य है।

यह है कि शस्त्र अनुज्ञाधारी संशोधित शस्त्र अधिनियम 1983 की धारा 3 के अनुसार तीन शस्त्र एक साथ रख सकता है। गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान, जयपुर के परिपत्र दिनांक 1.9.2007 के बिन्दु संख्या 1 मे शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी की मृत्यु के बाद जमा शस्त्रों के मामलों मे विस्तृत प्रावधान विहित किये गये है। उक्त बिन्दु 1 के उप बिन्दु (ख) के अनुसार यदि मृतक अनुज्ञापत्र धारक का विधिक प्रतिनिधि स्वंय पूर्व से शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी है एवं जमाशुदा शस्त्र का अपने अनुज्ञापत्र पर इन्द्राज कराना चाहता है, तो तत्काल पात्रता परीक्षण कर इन्द्राज संबंधी कार्यवाही की जावे, के दिशा निर्देश विहित है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त नियमों एवं परिपत्र पर विवेचन किये बिना ही अपीलान्ट का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया, जो न्यायोचित नही होने से निरस्त योग्य है।

यह है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा विधिक उत्तराधिकारी को नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने बाबत यह दिशानिर्देश जारी किया है कि " Grant of Licences under family heirloom policy- Attention is invited to the instructions contained in MHA's letter No. V-11019/23/95 Arms dated 28-2-1995 regarding grant of license to the legal heir of the existing licensee, after the death of the licensee or the licensee has attained the age of 70 years or had heid the weapon or 25 years or more . Normally, the scope of legal heirs is extended to husband, wife, son and daughter. It has been decided to exted the scope of legal heir ship to the son-in-law, daughter-in-law, brother and sister of the existing licensee. Accordingly, the applications for transfer of weapons from the said categories of relatives of the licensee may also be considered subject to other conditions stipulated in the said letter."

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर उत्तराधिकार मे प्राप्त 12 गन संख्या 29004 ए/9 एमजीएन का नया शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी कर उसमे दर्ज करवाने का आदेश प्रदान करावें। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित करावें कि वे पुनः प्रकरण का नियमानुसार परिक्षण कर उचित आदेश प्रदान करावें।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया है कि जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर द्वारा पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर की अभिशंसा को मध्यनजर रखते हुए अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह उचित है।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं के अभिकथनों पर मनन किया, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जिससे पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आर्म्स अधिनियम के प्रावधानों एवं गृह विभाग द्वारा उत्ताराधिकारी को अनुज्ञापत्र जारी करने बाबत दिशा निर्देशों की पालना एवं विवेचन किये बिना ही केवल पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण को उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन करने के पश्चात पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.6.2018 को निरस्त कर प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं आर्म्स अधिनियम के प्रावधानों एवं गृह विभाग द्वारा उत्ताराधिकारी को अनुज्ञापत्र जारी करने बाबत दिशा निर्देशों के परिपेक्ष्य मे 12 बोर डीबीबीए गन संख्या 29004 ए/9 एमजीएन हेतु शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने की कार्यवाही करें। निर्णय आज दिनांक 5.12.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

¼yfyr dqekj

xlrk½

fMoh tuy dfe'kuj]
tks/kiqj